



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172300

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 23096 वर्ष 2025

हरीश उर्फ हरि किशोर और 3 अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आशुतोष त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मदन कुमार तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी पक्षकार संख्या 1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री एन.के. शर्मा तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र तिवारी को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत विशेष वाद संख्या 284 वर्ष 2020 (राज्य बनाम हरीश उर्फ हरि किशोर और अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, विशेष न्यायाधीश,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.सी./एस.टी. अधिनियम, कासगंज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.07.2020 तथा मुकदमा अपराध संख्या 0015 वर्ष 2020 से उत्पन्न आक्षेपित पुलिस रिपोर्ट दिनांक 09.04.2020, जो धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1) दा, 3(1) धा, थाना अमांपुर, जनपद कासगंज के अंतर्गत है, को दिनांक 21.05.2025 के समझौते के आधार पर निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि:-

- (i) पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्णतः सिविल एवं निजी प्रकृति का था;
- (ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा पक्षकारों के मध्य गलतफहमियों एवं आशंकाओं के कारण दर्ज कराई गई थी और कथित वास्तविक घटना के कारण नहीं;
- (iii) आवेदकों की ओर से कभी कोई आपराधिक मंशा नहीं थी और न ही कथित कोई आपराधिक अपराध कभी घटित हुआ था;
- (iv) वर्तमान में, विवाद के पक्षकारों ने अपने मतभेदों का समाधान कर लिया है और आपसी शांति स्थापित कर ली है;
- (v) पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत, पक्षकार प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे सामान्य संबंध विकसित कर सकें और उनका अनुभव कर सकें;
- (vi) आपराधिक विचारण को जारी रखने से वास्तव में पक्षकारों के सामान्य संबंध बनाए रखने की अन्यथा उपलब्ध अच्छी संभावना बाधित हो सकती है; और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vii) ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों में, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध आरोपों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों द्वारा समझौता विलेख संबंधित न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2025 के अनुपालन में पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके उपरांत दिनांक 24.07.2025 के आदेश द्वारा समझौते का विधिवत सत्यापन किया गया। सत्यापन आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2025 के माध्यम से इस न्यायालय को भेजी गई है। उक्त पत्र में आगे यह भी अभिलिखित है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत सूचनादाता/पीड़ित द्वारा राज्य से प्राप्त प्रतिकर को दिनांक 25.08.2025 को राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।

5. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता से विवाद नहीं करते हैं।

6. इस तथ्य को देखते हुए कि पक्षकारों के मध्य विवाद मूलतः सिविल एवं निजी प्रकृति का है और उनके मध्य हुए समझौते के अनुसार उनकी पूर्ण संतुष्टि के लिए आपसी सहमति से उसका समाधान कर लिया गया है, आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य**, जो (2014) 6 एससीसी 466 में प्रकाशित है, **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य**, जो (2014) 9 एससीसी 653 में प्रकाशित है तथा **परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य**, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2017) 9 एससीसी 641 में प्रकाशित है, के मामलों में प्रतिपादित स्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में, उपर्युक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14 अगस्त, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)